उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–10/2020–21

संझला चौड़े

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 24/2/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता संझला चौड़े, पे0–स्व0 छोटका चौड़े, सा0–नारायणपुर, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपील वाद का सारांश यह है कि अपीलकर्त्ता ने मौजा–नारायणपुर नं0–06 जमाबंदी सं0–14 दाग नं0–28, 29 एवं 30 के अंदर कुल रकवा–03–04–03 धुर एवं मौजा–ऊपरबंधा नं0–04, जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1041, 1042, 1043, 1075, 1081, 1082 एवं 1042/1186 के अंदर कुल रकवा 12–10–10 धुर जमीन से उत्तरवादी विश्वनाथ चौड़े, पे0–स्व0 कान्हू चौड़े वो विमल चौड़े वो हितो चौड़े वो कान्हू चौड़े वो रोबिन चौड़े सभी पेसरान–विश्वनाथ चौड़े को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–19/2019–20 वाद दायर किया था, जिसमें अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–19/2019–20 के आदेश दिनांक–03.11.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–नारायणपुर जमाबंदी सं0–14 दाग नं0–28, 29 एवं 30 कुल रकवा 03–04–03 धुर जमीन एवं मौजा–ऊपरबंधा जमाबंदी सं0–21 दाग नं0–1041, 1042, 1043, 1075, 1081, 1082 एवं 1042/1186 कुल रकवा 12–10–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दखीन चौड़े वो चतुर चौड़े, पेसरान–रतन चौड़े के नाम से दर्ज है, जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

- रतन चौड़े
  - दखीन चौड़े(ज0रै0) नावल्द मृत
  - चतुर चौड़े(ज0रै0)
    - छोटका चौड़े(मृत)
      - ठाकुर चौड़े (मृत)
        - देवीराम चौड़े
        - गंगाराम चौड़े
      - संझला चौड़े अपीलकर्त्ता
      - भैया चौड़े
    - होपा चौड़े(मृत)
      - बाबूराम चौड़े
      - साहेबराम चौड़े
      - बाबूचाँद चौड़े

उनका आगे कथन है कि जमाबंदी रैयत दखीन चौड़े के नावल्द मृत्यु होने के बाद उनके सहोदर भाई चतुर चौड़े को उक्त दोनों जमाबंदी की जमीन पर अधिकार प्राप्त हुआ। चतुर चौड़े अपने पीछे दो पुत्र छोटका चौड़े वो होपा चौड़े को छोड़कर मृत्यु हो गयी। अपने पिता की मृत्यु के बाद दोनों उसपर दखलकार हुए। छोटका चौड़े को तीन पुत्र क्रमशः ठाकुर चौड़े वो संझला चौड़े वो भैया चौड़े हुए। ठाकुर चौड़े की भी मृत्यु हो गयी है। ठाकुर चौड़े को दो पुत्र देवीराम चौड़े एवं गंगाराम चौड़े हुए। होपा चौड़े भी अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः बाबूराम चौड़े वो साहेबराम चौड़े वो बाबूचाँद चौड़े को छोड़कर फौत कर गये। वे सभी अपने–अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त जमाबंदी की जमीन पर दखलकार हुए एवं वर्तमान तसदीक सर्वे पर्चा में भी उत्तरवादी के नाम को हटाकर अपीलकर्त्ता एवं उनके हिस्सेदार का नाम दर्ज किया गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादीगण का जमाबंदी रैयत दखीन चौड़े एवं चतुर चौड़े से कोई संबंध नहीं है। वे लोग बाहरी व्यक्ति है। उनलोगों का अपना मूल गाँव–गड़ियल है और उनलोगों का मौजा गड़ियल के जमाबंदी सं0–7 के अन्तर्गत जमीन है, जो चुन्नु चौड़े के नाम से दर्ज है। उत्तरवादीगण जमाबंदी रैयत चुन्नू चौड़े के वंशज है। उत्तरवादी विश्वनाथ चौड़े का शादी ग्राम–नारायणपुर में होपनमय हाँसदा, पे0–दासो हाँसदा के साथ हुई है एवं शादी के बाद उत्तरवादी ग्राम–नारायणपुर में रहने लगे एवं अपीलकर्त्ता के मौजा–नारायणपुर के जमाबंदी सं0–14 एवं मौजा–ऊपरबंधा के जमाबंदी सं0–21 की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। उत्तरवादीगण को अवैध दखल से उच्छेद करने के लिए अपीलकर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा में उच्छेदी वाद दायर किया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने गलत तरीके से अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। इसलिए

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ अपील के कालावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत आवेदन दाखिल किया है।

उत्तरवादी सं0–2 से 6 तक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान अपील वाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। क्योंकि मौजा–नारायणपुर नं0–6 जमाबंदी सं0–14 दाग नं0–28, 29, 30 एवं मौजा–ऊपरबंधा जमाबंदी सं0–21 के दाग नं0–1041, 1042, 1045, 1075, 1081, 1082 एवं 1042/1088 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दखीन चौड़े वो चतुर चौड़े के नाम से दर्ज है। दखीन चौड़े की नावल्द मृत्यु हो गयी। दखीन चौड़े के नावल्द मृत्यु होने के कारण चतुर चौड़े उक्त जमाबंदी के उत्तराधिकारी हुए। जमाबंदी रैयत चतुर चौड़े को एक मात्र पुत्र कान्हू चौड़े हुए। उत्तरवादी विश्वनाथ चौड़े कान्हू चौड़े के पुत्र है और अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार होकर खेती करते है एवं जमीन का लगान का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है एवं अपने को फर्जी तरीके से जमाबंदी रैयत चतुर चौड़े का वंशज बताते हुए उत्तरवादी को उक्त जमीन से बेदखल करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में झूठे वाद दायर करते रहते हैं। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने जाँच करने के पश्चात पारिवारिक संबंध पत्र सं0–51 दिनांक–24.11.2018 निर्गत किया है। इससे भी स्पष्ट है कि उत्तरवादी जमाबंदी रैयत चतुर चौड़े के वैध उत्तराधिकारी है। चूँकि यह मामला संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 से प्रभावित नहीं होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा नियम संगत आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–1044/रा दिनांक–22.12.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–नारायणपुर नं0–6 के जमाबंदी नं0–14 कुल रकवा 03–04–03 धुर जमीन एवं मौजा–ऊपरबंधा थाना नं0–4 के जमाबंदी नं0–21 कुल रकवा 12–10–10 धुर जमीन जमाबंदी रैयत दखिन चौड़े वो चतुर चौड़े, पे0–रतना चौड़े कौम संताल साकिन–नारायणपुर के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि पर विपक्षी विश्वनाथ चौड़े, पिता–स्व0 कान्हु चौड़े, साकिन–नारायणपुर का कब्जा एवं जोत आबाद है। विपक्षी के द्वारा वादगत जमीन मौजा–नारायणपुर के जमाबंदी नं0–14 का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–50 दिनांक–24.11.2018 एवं मौजा–ऊपरबंधा जमाबंदी नं0–21 का पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र सं0–51 दिनांक–24.11.2018, जो अंचल कार्यालय, बोआरीजोर से निर्गत है, में विपक्षी विश्वनाथ चौड़े को वादगत जमीन के जमाबंदी रैयत का वंशज दर्शाया गया है। विपक्षी द्वारा वादगत जमीन मौजा–नारायणपुर जमाबंदी सं0–14 का प्रधान द्वारा निर्गत लगान रसीद वर्ष 2005, 2014 एवं 2017 एवं मौजा–ऊपरबंधा के जमाबंदी नं0–21 का वर्ष 1985, 1988, 1989 एवं 2015 का लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है, जबकि आवेदक संझला चौड़े के द्वारा कोई भी लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया है। उनका आगे प्रतिवेदन उभय पक्ष के बीच स्वत्व निर्धारण से संबंधित प्रतीत होता है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं, विद्वान सरकारी वकील के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–नारायणपुर नं0–6 जमाबंदी सं0–14 कुल रकवा 03–04–03 धुर जमीन एवं मौजा–ऊपरबंधा नं0–4 जमाबंदी सं0–21 कुल रकवा 12–10–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दखीन चौड़े वो चतुर चौड़े, पेशरान रतना चौड़े कौम संताल सा0–नारायणपुर के नाम से दर्ज है। दोनों पक्ष के द्वारा उक्त जमाबंदी के गत जमाबंदी रैयत के वंशज के आधार पर दावा किया गया है। अपीलकर्त्ता की ओर से सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, संताल परगना बंदोवस्त, दुमका के न्यायालय के विविध सं0–1386/13 (संझला

चौड़े एवं अन्य बनाम् विश्वनाथ चौड़े) एवं विविध वाद सं0–1387/13 (संझला चौड़े एवं अन्य बनाम् विश्वनाथ चौड़े) में आदेश दिनांक–29.12.2016 की अभिप्रमाणित प्रति का छायाप्रति दाखिल किया गया है। उक्त वाद के आदेश दिनांक–29.12.2016 के द्वारा हाल रैयत खाता में रैयत के रूप में विपक्षी का नाम को विलोपित करते हुए आवेदकगणों संझला चौड़े, पिता–छोटका चौड़े, मैया चौड़े, पिता–छोटका चौड़े, देवीराम चौड़े, पिता–ठाकुर चौड़े, गंगाराम चौड़े, पिता–ठाकुर चौड़े, बाबूराम चौड़े, पिता–होपा चौड़े, साहेबराम चौड़े, पिता–होपा चौड़े का नाम नया रैयत के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। लेकिन चूँकि वर्तमान तसदीक सर्वे का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि अंचल कार्यालय, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत पारिवारिक संबंध प्रमाण पत्र में उत्तरवादी विश्वनाथ चौड़े को उक्त जमाबंदी के गत जमाबंदी रैयत के वंशज दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मामला स्वत्व से संबंधित प्रतीत होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–19/19–20 के आदेश दिनांक–03.11.2020 नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–19/2019–20 में दिनांक–03.11.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/02/23

उपायुक्त
गोड्डा।

24/02/23

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.15 11:19:58 +05:30
Location: 172.29.16.1